न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/316

1. रामकरण पुत्र कंवरिया जाति लश्करी मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1 बद्री बाई पत्नि रामकरण
   1/2 सुगना बाई पुत्री रामकरण
   1/3 रामदयाल पुत्र रामकरण
   जाति लश्करी निवासी ग्राम अभयपुरा की झोंपडिया कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. केसरीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1 तुलसा बाई पत्नि केसरीलाल
   2/2 रंगलाल पुत्र केसरीलाल
   2/3 जितेन्द्र पुत्र केसरीलाल
   2/4 संतोष
   2/5 मन्जू
   2/6 ममता पिसरान स्व0 केसरीलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम आरामपुरा खेडा रसूलपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. भागचन्द पुत्र कंवरिया जाति लश्करी
4. शिवजी पुत्र कंवरिया जाति लश्करी
5. मेघराज पुत्र कंवरिया जाति लश्करी
   निवासीगण अभयपुरा की झोंपडिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. नर्बदा बाई पुत्री कंवरिया जाति लश्करी मृतक जरिये कायम मुकामान–
   6/1 रामजानकी पुत्री नर्बदा बाई
   6/2 राजेन्द्र कुमार पुत्र नर्बदा बाई
   6/3 मुकेश कुमार पुत्र नर्बदा बाई
   6/4 मेहताब बाई पुत्री नर्बद बाई
   जाति लश्करी निवासीगण हाल छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   6/5 रामफूल पुत्र नर्बदा बाई मृतक जरिये कायम मुकामान–
   6/5/1 अमित कुमार पुत्र रामफूल
   6/5/2 मुस्कान पुत्री रामफूल जाति लश्करी निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. धन्नी बाई पत्नि पूरण जाति लश्करी
8. ओमप्रकाश पुत्र पूरण जाति लश्करी
9. नरेश पुत्र पूरण जाति लश्करी
10. लक्ष्मी बाई पुत्री पूरण जाति लश्करी

11. सुरेश पुत्र पूरण जाति लश्करी
12. महेन्द्र पुत्र पूरण जाति लश्करी
निवासीगण रंगबाडी कच्ची बस्ती कुन्ड के पीछे कोटा

——अपीलान्टगण

बनाम

1. आचुकी बाई पत्नि मानकचन्द जाति बसेडा मृतक जर्ये कायम मुकामान—
   1/1 महावीर प्रसाद चौहान पुत्र मानकचन्द जाति बसेडा
   1/2 हनुमान प्रसाद चौहान पुत्र मानकचन्द जाति बसेडा
   1/3 भीमसेन चौहान पुत्र मानकचन्द जाति बसेडा
   1/4 बजरंग प्रसाद चौहान पुत्र मानकचन्द जाति बसेडा
   1/5 वैद्य बाला प्रसाद चौहान पुत्र मानकचन्द जाति बसेडा निवासीगण बंगाली कोलोनी छावनी कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री दयाराम सेन अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो. 1/1, 1/2, 1/5 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.12.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 78/2009 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। वाद के विचाराधीन रहते हुए वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 6 के कायम मुकाम का प्रार्थना—पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कायम मुकाम के प्रार्थना—पत्र का जवाब पेश किया जाकर वाद को अबैटमेन्ट में खारिज किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2025 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद अबैटमेन्ट में खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

4. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। समन्न नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2 व 1/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा उनकी आराजी पर प्रतिवादी का नाजायज कब्जा होने के कारण धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया था जिसमें सभी वादीगण के हक निहित थे तथा वादीगण प्रभावित थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वयं माना है कि अन्य वादीगण रिकॉर्ड पर मौजूद है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नर्बदा व रामकरण के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र को देरी ना मानकर सम्पूर्ण वाद ही अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज करने में त्रुटि की है। कानूनी रूप से जब वाद में अन्य प्रभावित पक्षकारान रिकॉर्ड पर मौजूद हो तो उनके हक के विपरीत अन्य मृतक व्यक्ति के साथ सम्पूर्ण वाद को अबेट नहीं किया जा सकता है। केवल मृतको की हद तक ही यदि प्रार्थना–पत्र कायम मुकामी देरी ना माना जावे तो उनकी हद तक ही वाद अबैट किया जा सकता है। अन्य वादीगण प्रभावित पक्षकारों के विरूद्ध वाद अबैट नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी मन्शा को समझे बिना ही सम्पूर्ण वाद अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में रिकॉर्ड पर मौजूद पक्षकारान के हित निहित है तथा उनके हितों को सुरक्षित रखकर निर्णय प्रदान किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1259, 2023(1) आर.आर.टी. पेज

258 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद में नर्बदा बाई एवं रामकरण के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेकर नियमित वाद में सुनवाई करते हुए वाद का निस्तारण किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 विधि सम्मत है। वादी संख्या 1 तथा वादी संख्या 6 की मृत्यु होने के लगभग 5 माह पश्चात उनके कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो मियाद बाहर पेश किया गया है। शेष वादीगण तथा मृतक वादी संख्या 1 व वादी संख्या 6 एक ही परिवार के सदस्य है। अतः एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण वादीगण को वादी संख्या 1 व वादी संख्या 6 की मृत्यु की प्रांरभ से ही जानकारी रही है। वादीगण को मृतक वादीगण की मृत्यु होने की जानकारी होने के बावजूद भी कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादी संख्या 6 नर्बदा के विरूद्ध दावा स्वतः ही अबैट हो चुका है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद अबैटमेन्ट में खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2010(2) आर.आर.टी. पेज 1458 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24. 07.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का है। वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रश्नगत वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2014 को पेश किया गया है। वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 रामकरण तथा वादी संख्या 6 नर्बदा बाई के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.05.2025 को

पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वादी संख्या 1 रामकरण की मृत्यु दिनांक 11.01.2025 को होने का अंकन है, तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत कायम मुकाम के प्रार्थना–पत्र में वादी संख्या 6 नर्बदा बाई की मृत्यु दिनांक 16.11.2024 को होने का कथन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.07.2025 में वादीगण की ओर से जानकारी होने के बावजूद भी कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर पेश होना मानकर हस्तगत वाद को अबैटमेंट में खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपने निर्णय दिनांक 24.07.2025 में यह तर्क है कि प्रकरण में कुल 13 वादीगण बतौर पक्षकार है तथा आपस में परिवार के सदस्य है इस कारण वादीगण को मृतक वादीगण की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। परन्तु हमारे मत में चूंकि प्रश्नगत वाद में कुल 13 वादी है जिनमें केवल वादी संख्या 1 व वादी संख्या 6 की ही मृत्यु हुई है अन्य वादीगण जीवित है तथा वे प्रश्नगत अपील में अपीलांट है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ मृतक वादी के कायम मुकाम प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने के आधार पर सम्पूर्ण वाद कानूनन अबैट नहीं किया जा सकता। सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 1 के अनुसार यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होगा साथ ही सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 2 के अनुसार जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और जहॉ वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या वादियों को या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरूद्ध बचा रहता है वहॉ न्यायालय अभिलेख में उस भाग की एक प्रविष्टि कराएगा और वाद उत्तरजीवी वादी या वादियों की प्रेरणा पर या उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवदियों के विरूद्ध आगे चलेगा। प्रश्नगत प्रकरण में केवल वादी संख्या 1 व वादी संख्या 6 की मृत्यु हुई है अतः केवल वादी संख्या 1 व 6 की मृत्यु के पश्चात शेष वादीगण का वाद अधिकार समाप्त नहीं होने से कानूनन वाद अबैट नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.07.2025 में प्रश्नगत वाद को अबैट होने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में चूंकि प्रश्नगत वाद स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली का है जिसमें वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण होना है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाते हुए कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक था ताकि प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण हो सके। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 1 व 2 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए

विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रश्नगत वाद को खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो हमारे मत में त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा के प्रकरण संख्या 78/2009 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूलवाद (वाद संख्या 78/2009) को पुनः नम्बर पर लेकर मृतक वादीगण के कायम मुकाम की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तथा अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 29.01.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा